5/2017 रफ़ीक मोहम्मद V/S भैरोसिंह

दिनांक	आज्ञा पत्र
16.7.18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र कायम मुकाम हेतु पेश । विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-6 इन्द्रसिंह पुत्र फूलसिंह व अप्रार्थी संख्या-9 भागीरथसिंह पुत्र फूल सिंह का देहान्त हो गया । जिनकी मृत्यु की जानकारी अप्रार्थी संख्या" व 9 के रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर दिनांक 28-6-17 को अप्रार्थी सं0-6 व 9 कोर्ट में नहीं आने पर पता चला कि इन दोनो की मृत्यु प्रार्थना पत्र बाजकारवाई पेश करने के पूर्व ही हो चुकी जिस पर इनकी मृत्यु की जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र कायम मुकाम जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया । जिसमें अप्रार्थी सं0-6 कीमृत्यु माह अप्रैल 2014 में तथा अप्रार्थी सं0-9 की मृत्यु माह दिसम्बर 2015 में हो चुकी थी । जिनकी मृत्यु की जानकारी इनके न्यायालय में नहीं आने पर दिनांक 28-6-2017 को हुई । इससे पूर्व अपीलान्ट/प्रार्थी को इनकी मृत्यु की जानकारी नहीं थी ।अपीलान्ट/प्रार्थी को जैसे ही इनकी मृत्यु की जानकारी हुई प्रार्थी ने दफा-5 के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । जिसमें स्पष्ट किया है कि प्रार्थी को इनकी मृत्यु की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी तथा ना ही अप्रार्थी ने उन्हें कोई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

इनकी मृत्यु की सूचना दी है । मैंने इनकी मृत्यु की जैसे ही जानकारी हुई यह प्रार्थना पत्र पेश कर दिया । अतः प्र अतः प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद शुमार कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इनके वारिसान को रेकार्ड पर लिया जावे ।

विद्वान वकील अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ड ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या-6 व 9 की मृत्यु की दिनांक तक नहीं लिखी जबकि प्रार्थी को इनकी मृत्यु की जानकारी मृत्यु के दिनांक से ही थी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0-6 व 9 एक ही गांव के रहने वाले है। इस गांव की आबादी भी कोई ज्यादा नहीं है। जिससे यह कहा जा सके कि इनको इनकी मृत्यु की जानकारी नहीं रही हो । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं0-6 की मृत्यु माह अप्रेल 2014 में तथा अप्रार्थी सं0-9 की मृत्यु माह दिसम्बर 2015 में होना बताया है । जबकि प्रार्थी/अपीलान्ट की अपील अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में दिनांक 25-4-17 को खारिज हो गई । प्रार्थी को इनकी मृत्यू की जानकारी मृत्यु की दिनांक से रही है । इसके बाद भी प्रार्थी/अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र बाजदायरी मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पेश किया है । प्रार्थी को इनके कायम मुकाम की कार्यवाही निर्धारित समय-90 दिन में तथा अबैटमेन्ट को सैट असाईड के लिए प्रार्थना पत्र 60 दिन में पेश करना चाहिये था । किन्तु प्रार्थी/अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र मियाद के अन्दर पेश नहीं किया । बल्कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र ही मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पेश किया है जो शुरू से ही नलिटी है । अपीलान्ट की अपील सम्पूर्ण रूप से अबैट हो चुकी है । प्रार्थी ने इनकी मृत्यु की जानकारी प्रार्थना पत्र दफा-5 में दिनांक 28-6-17 के बाद होना बताया है। प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे यह माना जावेगी इनकी मृत्यु की जानकारी प्रार्थी को 28-6-17 के बाद हुई हो ।

5/2017 खुर्शीद मोहम्मद-- भैरूसिंह

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किया है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 5 खारिज किया जाकर प्रार्थना पत्र बाजदायरी खारीज कर बाजदायरी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । बहस के समर्थन में एआई0आर 2002(एस0सी0)पेज 1201, एआई0आर 1963(एस0सी0) पेज -553 एआई0 आर0 1970(कलकत्ता) पेज 99 पेश कर अपील अबैट होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया ।	

बहस बगैर समाहत की गई ।प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र बहस पर मनन किया गया । प्रार्थी एवं मृतक अप्रार्थी संख्या-6 व 9 एक ही गांव के रहने वाले हैं ।अप्रार्थी संख्या-6 व 9 की ओर से कोई वकील भी नियुक्त नहीं किया हुआ है ।इस कारण आदेश-22 नियम-10(क) सीपीसी के अनुसार अप्रार्थी की ओर से मृत्यु की इतला दिया जाना भी आवश्यक नहीं था ।प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0-6 व 9 एक ही गांव के रहने से यह सही है कि प्रार्थी को इनकी मृत्यु की जानकारी इनकी मृत्यु के दिन से ही है । प्रार्थी एवं अप्रार्थी स0-6 व 9 ग्राम सलताना के ही रहने वाले इस कारण प्रार्थी का यह कहना उचित नही कि इनकी मृत्यु की जानकारी 28-6-17 की तारीख पेशी पर नहीं आने से हुई हो ।ग्राम सुलताना की ओबादी कोई अधिक नहीं है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किया । प्रार्थी के कथनो पर विश्वास कर भी लिया जावे तो प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0-6 की मृत्यु माह अप्रेल 2014 में तथा अप्रार्थी सं0 2015 की मृत्यु माह दिसम्बर 2015 में होना दर्ज किया है ।अर्थात अपील दिनांक 25-4-2017 को अदम हाजरी में खारिज हुई उससे पूर्व ही अप्रार्थी सं0 6 व 9 की मृत्यु हो चुकी। जिसके कायम मुकाम एवं अपील अबैटमेन्ट होने पर अबैटमेन्ट को सैट असाईट कराने का समय भी निकल चुका । अर्थात प्रार्थी ने मृत व्यक्तियों की कार्यवाही जानकारी होने के बाद

उपखण्ड अधिकारी एव राजस्व अपील अधिकारी सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	भी नहीं की है । जो प्रार्थी द्वारा जानबूझकर लापरवाही /अकर्मण्यता की श्रेणी में आती है जो प्रार्थना पत्र में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने योग्य नहीं है ।प्रस्तुत नजीर 2017(3) डीएनजे(राज0)1054 में स्पष्ट किया गया है कि मुवक्किल को पर्याप्त जागरूक रहना चाहिये अर्थात इस प्रकार की कार्यवाही के लिये स्वयं को जागरूक रहकर इस प्रकार की कार्यवाही को समय पर पूरा किया जाना चाहिये तथा विलम्ब को क्षमा करने का पर्याप्त कारण बताना चाहिये ।प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में विलम्ब को क्षमा करने के कोई सन्तोषप्रद कारण नहीं है ।प्रस्तुत नजीर ए0आई0आर01963(एस0सी0) पेज-553 एवं ए0आई0आर 1970(कलकत्ता) पेज-99 के सन्दर्भ में अपील सम्पूर्ण रूप से ही अबैट होना माना जायेगा ।मृत व्यक्तियों के हिस्से तक प्रार्थना पत्र/अपील अबैट नहीं होगी " अपील इन टोटो अबैट" होगी ।चूँकि दावे में सभी प्रतिवादीगण के लिये संयुक्त रूप से सहायता चाही गई है । जिसमें अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट रेस्पोडेन्ट संख्या-3 से।4 है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से बनाये जाने कायम मुकाम खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाजदायरी अबैट होने से खारिज किया जाता है ।प्रार्थना पत्र बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय सुनाया गया । 16/7/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	